जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – रिजर्व पुलिस लाइन **दिनांक – 09.07.2025**

पेड़ लगाओ—पेड़ बचाओ अभियान:- पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर सहित अन्य अधिकारीगण द्वारा रिजर्व पुलिस लाइंस में वृक्षारोपण किया गया।

आज रिजर्व पुलिस लाइंस, बिजनौर में वामा सारथी (उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन) द्वारा **“"एक पेड़ मां के नाम-2.0" जन-अभियान 2025”** के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस परिवार के सदस्य एवं बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए, जिससे न केवल हरियाली बढ़ी बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संदेश भी सभी तक पहुँचाया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) श्री संजीव कुमार बाजपेयी, क्षेत्राधिकारी लाइन श्री संग्राम सिंह एवं प्रतिसार निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह सिकरवार, जिन्होंने संयुक्त रूप से पौधारोपण किया। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों व पुलिस कर्मियों ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई।

इस कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस परिवार ने पर्यावरण संवर्धन में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि हर वृक्ष का संरक्षण हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

कार्यक्रम की सकारात्मकता का प्रमाण है कि पुलिस परिवार केवल कानून व्यवस्था में संलग्न नहीं हैं, बल्कि जन-कल्याण तथा पारिस्थितिकी के संरक्षण में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा हैं।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शिवाला कलां **दिनांक – 09.07.2025**

थाना शिवाला कलां पुलिस ने मु0अ0सं0 105/2025 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त को चोरी किये गये ट्रैक्टर-ट्रोली सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.07.2025 को वादी शुभम पुत्र प्रमोद कुमार निवासी ग्राम फीना थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर ने थाना शिवाला कलां पर तहरीर दी कि दिनांक 08.07.2025 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा गौशाला से ट्रैक्टर-ट्रोली चोरी कर लिये गये है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना शिवाला कलां पर मु0अ0सं0-105/2025 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 09.07.2025 को थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त धर्मवीर सैनी पुत्र चन्द्र सिह निवासी ग्राम फीना थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर को चोरी किये गये ट्रैक्टर-ट्रोली सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

धर्मवीर सैनी पुत्र चन्द्र सिह निवासी ग्राम फीना थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त धर्मवीर उपरोक्त –

1.मु0अ0सं0-87/2024 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0-75/2013 धारा 7 सीएल एक्ट, धारा 147/341/352/504 भादवि थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0-105/25 धारा 305(A)/331(4) बीएऩएस थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 संजयपाल थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
2.हे0का0 690 अनिल कुमार थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
3.हे0का0 479 विनोद कुमार थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
4.हे0का0 725 सचिन राठी थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
5.का0 1998 विष्णु शर्मा थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 09.07.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने चोरी की 07 घटनाओं का अनावरण करते हुए चोरी किये गये भारी मात्रा में पीली / सफेद धातु के आभूषण, नगदी घरेलू सामान एवं चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त उपकरणों सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया व साथी बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.02.2025 को श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र हरकेश सिंह निवासी ग्राम हैजरपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोरों ने दिनांक 03/04.02.2025 की रात्रि में वादी के घर से सोने/चांदी के आभूषण चोरी कर लिये है । इस सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 74/2025 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 02.04.2025 को वादी श्री नवाब पुत्र हनीस निवासी मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर का ताला तोडकर मकान से सोने के आभूषण व नगदी चोरी कर ली है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 177/2025 धारा 305(ए)/331(4) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 03.04.2025 को वादी श्री मोनू पुत्र नसीम अहमद निवासी मौहल्ला ग्रीन कॉलोनी काजीजादगान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी थी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर से सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 182/2025 धारा 305(ए) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 16.06.2025 को वादी श्री इरफान पुत्र शरीफ अहमद निवासी मौ0 सराय रफी कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर का ताला तोड़ कर अलमारी मे रखे सोने व चाँदी के आभूषण, ₹10,000 रियाल चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 347/25 धारा 305ए/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 25.06.2025 को वादी श्री रामवीर सिंह पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम रायपुर खादर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मन्दिर से इन्वर्टर , बैटरा व एक साउन्ड सिस्टम चोरी कर लिये गये है। इस सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 377/2025 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 29.06.2025 को वादी अलाउददीन पुत्र मकबूल अहमद निवासी मौहल्ला काजीजादगान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के धनौरा रोड पर स्थित टीन के खोखे से 2 गिलेंडर,वैल्डिंग मशीन, 60 मीटर केबिल और 2 गाडी से तेल, एक एल्टिनेटर बैट्रा 150 Amp और 02 ड्रिल मशीन चोरी कर लिये गये है। इस सम्बन्ध में थाना चादंपुर पर मु0अ0सं0 381/2025 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 01.07.2025 को वादी श्री खूब सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी थी कि दिनांक 29.06.2025 की रात्रि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के घर से सोने-चांदी के आभूषण व 50,000/- रुपये नगदी चोरी कर ली गयी है। इस सम्बन्ध में थाना चादंपुर पर मु0अ0सं0 384/25 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोगों में अभियुक्तगण 1.अरूण कुमार पुत्र परम 2.दीपक पुत्र परम 3.बाल अपचारी निवासीगण ग्राम बुन्दरा खुर्द थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 09.07.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण 1.अरूण कुमार पुत्र परम 2.दीपक पुत्र परम निवासीगण ग्राम बुन्दरा खुर्द थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया एवं साथी बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गये भारी मात्रा में पीली / सफेद धातु के आभूषण, नगदी घरेलू सामान एवं चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त उपकरण बरामद किये गये। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.अरूण कुमार पुत्र परम सिंह निवासी ग्राम बुन्दरा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.दीपक पुत्र परम सिंह निवासी ग्राम बुन्दरा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण –

1.मु0अ0सं0 74/2025 से संबंधित एक जोडी हथफूल, एक जोडी पायल व दो जोडी पाजेब

2.मु0अ0सं0 177/2025 से संबंधित एक जोडी कान के कुण्डल (पीली धातु), एक अंगूठी (पीली धातू), 02 अंगूठी (सफेद धातु), 01 जोडी पायल, 01 गले का हार (सफेद धातु), 10000 /- रूपये नगदी व ज्वैलरी बैग

3.मु0अ0सं0 347/2025 से संबंधित 100X5 व 500X1 रियाल (कुवैत की मुद्रा), एक जोडी पायल, एक अगूंठी पीली धातू व एक नोंज पिन पीली धातू व तीन अंगूठी सफेद धातू व ज्वैलरी बैग

4.मु0अ0सं0 384/2025 से संबंधित तीन तबीजी सफेद धातू, एक जोडी पायल सफेद धातू, एक अगूंठी सफेद धातू व 4,000 /- रूपये नकद

5.मु0अ0सं0 182/2025 से संबंधित एक नोज पिन पीली धातू, एक जोडी पायल सफेद धातू व 4,000 /- रूपये

6.मु0अ0सं0 381/2025 से संबंधित 03 लोहे की पाईप छोटी, 03 लोहे की पकडने की चिडासी, 03 लोहे की जम्बूड, लोहे का प्लास, 03 पाना लोहा, 05 लोहे की चाबी, 03 लोहे की छैनी, 02 रेती (घिसने वाली), 03 लोहे की एंग्ल, 05 कमानी के टुकडे, 02 रॉड के छोटे टुकडे, 02 लोहे की पत्ती, 01 हैमर ड्रिल, 40 मी0 केबल काले रंग की (एल्यूमिनियम)

7.मु0अ0सं0 377/2025 संबंधित एक बैट्रा पावर जोन कम्पनी

अभियुक्त अरुण उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 74/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चादपुर बिजनौर

2.मु0अ0सं0 177/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चादपुर बिजनौर

3.मु0अ0स0 182/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर

4.मु0अ0स0 381/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर

5.मु0अ0स0 347/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर

6.मु0अ0स0 384/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर

7.मु0अ0स0 377/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर

अभियुक्त दीपक उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 74/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर

2.मु0अ0सं0 177/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर

3.मु0अ0स0 182/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर

4.मु0अ0स0 381/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर

5.मु0अ0स0 347/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर

6.मु0अ0स0 384/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर

7.मु0अ0स0 377/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर

बाल अपचारी का अपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 74/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर
2.मु0अ0सं0 177/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर
3.मु0अ0स0 381/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर
4.मु0अ0स0 347/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर
5.मु0अ0स0 384/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर
6.मु0अ0स0 377/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री मदनपाल सिंह राणा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3.उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4.कां0 1882 कृष्ण कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5.का0 2295 आकाश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
6.कां0 671 जैकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
7.कां0 810 मोनू कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 09.07.2025**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 239/2025 धारा 61(2)/62/64/76/351(2) बीएनएस व धारा 3/18 पॉक्सो एक्ट मे वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.07.2025 को वादी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि दिनांक 04.07.2025 को 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी पुत्री के साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0स0-239/2025 धारा 61(2)/62/64/76 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1.शाजेब पुत्र मौ0 इकबाल 2.प्रियांशु कुमार उर्फ विकास पुत्र महेन्द्र सिंह 3.कैलाश सिंह पुत्र संतराम सिंह समस्त निवासीगण ग्राम रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आयें तथा अभियोग में धारा 351(2) बीएनएस व धारा 3/18 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 09.07.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तों 1.शाजेब पुत्र मौ0 इकबाल 2.प्रियांशु कुमार उर्फ विकास पुत्र महेन्द्र सिंह 3.कैलाश सिंह पुत्र संतराम सिंह समस्त निवासीगण ग्राम रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1. शाजेब पुत्र मौ0 इकबाल निवासी ग्राम रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2. प्रियांशु कुमार उर्फ विकास पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
3. कैलाश सिंह पुत्र संतराम सिंह निवासी ग्राम रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 अन्नू कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.हे0का0 105 सोमपाल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3.का0 236 रोहित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

4.का0 256 अशोक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर